म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक / बी–6 / नियमन / 2019–2020 / 326 भोपाल,दिनांक 28/ 05 / 2020

प्रति,

1. संयुक्त / उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय..................................(समस्त)

2. भारसाधक अधिकारी / सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति ....(समस्त)

विषयः–मण्डी कृत्यकारियो के लायसेंस नवीनीकरण अवधि मे वृद्धि के संबंध मे।

संदर्भः–1. मंडी बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक / बी–6 / नियमन / 2019–2020 / 279 दिनांक 31.03.2020
2. मंडी बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक / बी–6 / नियमन / 2019–2020 / 297 दिनांक 24.04.2020

संदर्भित पत्र द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने से प्रदेश की मण्डी समितियों में कार्यरत व्यापारी / प्रसंस्करणकर्ता / हम्माल–तुलावटी / पक्का आढ़तिया एवं ऐसे सभी अनुज्ञप्तिधारी जिन्होंने मण्डी परिसर एवं मण्डी क्षेत्र में कृषि उपज के व्यापार हेतु मण्डी बोर्ड अथवा मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई है और उनकी वैधता 31 मार्च एवं 30 अप्रैल 2020 को समाप्त हो चुकी है एवं 31 मई 2020 को समाप्त होने वाली है। ऐसे समस्त अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण के लिऐ अनुज्ञप्ति शुल्क मंडी मे जमा होना आवश्यक है।

अतः ऐसे समस्त अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी / फर्म के लिए अनुज्ञप्ति नवीनीकरण शुल्क 06 जून 2020 तक अनिवार्यतः नकद / आरटीजीएस / एनईएफटी (सुविधा अनुसार) आदि माध्यम से संबंधित मण्डी मे जमा कराने तथा नवीनीकरण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु 30 जून 2020 की तिथि नियत की जाती है।

अनुज्ञप्ति नवीनीकरण की अवधि मे वृद्धि उन्ही व्यापारी / फर्मो के लिए की जाएगी जिनके द्वारा नियत तिथि 06 जून 2020 तक अनुज्ञप्ति नवीनीकरण शुल्क संबंधित मण्डी मे जमा कराया गया है।

अनुज्ञप्ति नवीनीकरण शुल्क जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची मंडी सचिव/ आंचलिक अधिकारी तत्काल ई–अनुज्ञा शाखा को भेजेंगे।

28.5.20
(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल